



## पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की सूचना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून द्वारा जनपद देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज के अन्तर्गत सौंग नदी से लघु खनिजों के खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव में सौंग नदी से रेत, बजरी एवं पत्थरों का खनन किया जाना है। प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Term of Reference (ToR) निर्धारित किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 यथासंशोधित 2009 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु पैनल की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत है।

1. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ; उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय-देहरादून, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, ई-118, नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड, देहरादून; कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून, कार्यालय जिला पंचायत, देहरादून; जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून एवं ग्राम-पंचायत सौड़ा सरौली में उपलब्ध है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रतियाँ [www.ueppcb.uk.gov.in](http://www.ueppcb.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून द्वारा जनपद-देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज के अन्तर्गत सौंग नदी में प्रस्तावित लघु खनिज (रेत, बजरी, पत्थर) के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 19.3.2013 को प्रातः 11:00 बजे से पंचायत भवन, ग्राम-सौड़ा सरौली, देहरादून में निर्धारित की गयी है। अतः जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियाँ और आक्षेप इस विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत इस कार्यालय में डाक/कोरियर/ई-मेल ([msukpcb@yahoo.com](mailto:msukpcb@yahoo.com)) द्वारा प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई में उपस्थित होकर भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

सदस्य सचिव  
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।